सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-892/BR/3/2023-RO-RNC

Date : 08.08.2024

सेवा मे,

1 **श्री राजविंदर सिंह भट्टी**
पुलिस महानिदेशक,
बिहार सरकार,
पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल मार्ग,
पटना -800023 बिहार
E.mail: dgp-bih@nic.in

2 **श्री मुकुल कुमार गुप्ता,**
जिला पदाधिकारी,
जिला – सिवान
कार्यालय जिला पदाधिकारी
सिवान -841226 बिहार
ई मेल :dm-siwan.bih@nic.in

3 **श्री अमितेश कुमार**
पुलिस अधीक्षक,
जिला – सिवान
कलेक्ट्रेट, सिवान -841227 बिहार
ई मेल :sp-siwan-bih@nic.in

विषय: **अभ्यावेदिका श्रीमती सहोदरा देवी, पतिजयराम साह-, सा०सैंचानी -, थानारघुनाथपुर -, जिलासिवान-, बिहार से प्राप्त अभ्यावेदन"रघुनाथपुर थाना कांड सं० -271/2022 अन्दर दफा-341, 447, 323, 504,354/34 भा०द०वि० एवं 3 (1)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तिगणों के मेल वो मिलाप में आकर सही दिशा में अनुसंधान नहीं करने एवं मुदालहम के मेल वो मिलाप वाले गवाहों की गवाही कांड दैनिकी में दर्ज करने के संबंध में एवं 307 भा०द०वि० नहीं लगाने के संबंध में**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमति सहोदरा देवी
पतिजयराम साह-,
सा०सैंचानी -, थानारघुनाथपुर -, जिलासिवान-, बिहार -841203
Mob No- 7050288189

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-892/BR/3/2023-RO-RNC

मारपीट व शारीरिक हमले के संबंध में श्रीमति सहोदरा देवी, पति- जयराम शाह, सा.- सैंचानी, थाना- रघुनाथपुर, जिला- सिवान बिहार की शिकायत के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 11.06.2024, 11:00 A.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्रीमति सहोदरा देवी से दिनांक 12.01.2023 की शिकायत आयोग में प्राप्त हुई है जिसमे उन्होने बताया है की दिनांक 21.11.2022 को समय 1:30 बजे उनकी बेटी निशा कुमारी उम्र 18 वर्ष घर पर अकेली थी उसी समय उसी गाँव के कमलेन्द्र मिश्रा उम्र 35 वर्ष, पिता- सतदेवा मिश्रा ने घर में घुसकर उनकी पुत्री सुश्री निशा कुमारी के साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया तब उनकी पुत्री जोरजोर से चिल्लाने लगी उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रार्थी और उनकी गोतनी दौड़कर अपने घर पहुँचे तो देखा कि उनकी पुत्री को श्री कमलेन्द्र मिश्रा ने गलत नियत से पकड़ रखा है। प्रार्थीनी और उनकी गोतनी ने छुड़ाने की कोशिश की तो कमलेन्द्र मिश्रा ने लाठी उठाकर उसे और उसकी बेटी के सिर पर वार कर दिया जिससे उन दोनों का सिर फट गया तथा गोतनी के हाथ पर भी वार किया जिससे उनका पंजा कट गया। इतने में श्री कमलेन्द्र मिश्रा का पूरा परिवार पहुँच गए और गंदी-गंदी गालिया देने लगे तथा उसके परिवार पर लाठी डंडे से बुरी तरह मारने लगे और जाते हुए धमकी दिए कि अगर मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में दिया तो अच्छा नहीं होगा। थाना अध्यक्ष रघुनाथपुर ने अभियुक्तगणों के मेल मिलाप में आकर अन्दर दफा -307 भा०द०वि० की दफा नहीं लगाई है। प्रार्थीनी ने इस मामले में आयोग से मदद का अनुरोध किया है ।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी, जिला- सिवान एवं पुलिस अधीक्षक- सिवान के साथ दिनांक 28.01.2023 को उठाया गया था और 07 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में अपर पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग, पटना(बिहार) की ओर से अपर्याप्त जवाब प्राप्त हुआ है। जवाब की जांच करने के बाद आयोग द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी, जिला- सिवान एवं पुलिस अधीक्षक- सिवान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक- सिवान उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नही हुए।

Contd... P/2

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक- सिवान ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया कि उन्होने SHO एवं जांच अधिकारी को पक्षपाती होकर काम करने के प्रकरण में निलंबित कर दिया है। आयोग को जवाब देने में हुई देरी के सम्बंध में उन्होने डी. ई. को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होने इस मामले में SC/ST(PoA) अधिनियम के सेक्शन 4 का अनुपालन करने का आश्वाशन दिया।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

2. SC/ST(PoA) अधिनियम की अनुपालना की जाए।

3. प्रार्थीनी को आवश्यक आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए।

4. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

5. कार्रवाई रिपोर्ट 07 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY- 892/BR/3/2023-RO-RNC

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Director General of Police, Bihar,
O/o District Magistrate & Collector and Superintendent of Police, Siwan

Shri Amitesh Kumar

Superintendent of Police